संख्या- 11/708/बयालिस-2015-215(विविध)/2013

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2015**

विषय- गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ स्थित हाकी स्टेडियम में फ्लड लाइट लगवाये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी- 1289/नि0 खेल क्रिया-कलाप पत्रा0/2014-15, दिनांक 12 मार्च, 2015 एवं शासनादेश संख्या- 2565/बयालिस-2014-215(विविध)/2013, दिनांक 20 नवम्बर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष- 2014-15 में गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ स्थित हाकी स्टेडियम में फ्लड लाइट लगवाये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति रू0 824.59 लाख के सापेक्ष रू0 385.00 लाख स्वीकृत करने के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 439.59 लाख के सापेक्ष रू0 168.63 लाख (रू0 एक करोड़ अड़सठ लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)- उपरोक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि रू0 168.63 लाख (रू0 एक करोड़ अड़सठ लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष- 2014-15 में उपलब्ध परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल की होगी तथा निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(4)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(5)- गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ स्थित हाकी स्टेडियम में फ्लड लाइट लगवाये जाने हेतु निर्गत मूल शासनादेश संख्या- 2565/बयालिस-2014-215(विविध)/2013, दिनांक 20 नवम्बर, 2014 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

.....2

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2014-15 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-87-खेल एंव खेल से सम्बन्धित कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए-24-वृहत निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी0-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

संख्या- 708(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- प्रधानाचार्य, गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ।
(5)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, लखनऊ।
(6)- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(9)- नियोजन अनुभाग- 4
(10)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।